न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़, अजमेर

फौजदारी मूल प्रकरण सं. 102/2020
आरती बनाम लेखराज वगैरह

30.11.2021

प्रार्थिया मय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा फॉर्म नं. 3 के साथ फर्द दस्तावेजात पेश किए। शामिल रहे। अभियुक्तगण अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र वास्ते महिला का नाम डिलीट किए जाने बाबत पेश किया। नकल दिलाई गई। शामिल रहे।

इस आदेश के द्वारा अभियुक्त की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते महिला का नाम डिलीट करवाने बाबत दिनांक 30.11.2021 का निस्तारण किया जा रहा है जिस पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी सं. 3 शोभा पत्नी मदन को भी पक्षकार बनाया गया है, लेकिन घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत् महिला के विरूद्ध उक्त प्रकरण पोषणीय नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 के विरूद्ध भी कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रकरण अकारण ही प्रस्तुत किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 2 से 4 का नाम डिलीट किए जाने का निवेदन किया गया।

जबकि दौराने बहस प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध में तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण में विलंब कारित करने के आशय से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जिसे खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। विधि की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 को पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाए गए है तथा अप्रार्थी सं. 3 शोभा के विरूद्ध घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत उक्त प्रकरण पोषणीय नहीं होने से उक्त अप्रार्थी सं. 2 से 4 का नाम डिलीट किए जाने का निवेदन किया गया, जिस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो न्यायालय को यह देखना है कि अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है या नहीं उक्त तथ्य साक्ष्य का विषय है जिसका निस्तारण प्रकरण में साक्ष्य आने के पश्चात् ही तय किया जा सकता है तथा उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण में विलंब कारित करने के आशय से पेश किया जाना दर्शित है। इसलिए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते महिला का नाम डिलीट करवाने बाबत इस प्रक्रम पर पोषणीय प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया। प्रकरण में संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट तलब नहीं की गई है। अतः संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट तलब की जावे। पत्रावली वास्ते पेश होने रिपोर्ट/जवाब हेतु दिनांक 20.12.2021 को पेश हो।